न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(सुश्री रजनी मीणा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 115/2018

निर्णय दिनांकः– 22.03.2021

उनवान

घीसी पत्नी महावीर जाति तेली निवासी ग्राम फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीया

बनाम

1. राजराजेश्वर सिंह पुत्र शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी फूलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
2. महेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी फूलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
3. रमेश्वर सिंह पुत्र शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी फूलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
4. रविन्द्र सिह पुत्र नरपत सिंह जाति राजपूत निवासी फूलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
5. भूपेन्द्र सिंह पुत्र नरपत सिंह जाति राजपूत निवासी फूलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
6. जितेन्द्र सिह पुत्र नरपत सिंह जाति राजपूत निवासी फूलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
7. कैलाश कंवर पत्नी नरपत सिंह जाति राजपूत निवासी फूलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
8. श्रवण सिंह पुत्र प्रणवीर सिंह जाति राजपूत निवासी फूलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
9. बिना कंवर पुत्र प्रणवीर सिंह जाति राजपूत निवासी फूलेता तहसील उनियारा जिला टोंक
10. उप– पंजीयक उप तहसील बनेठा तहसील उनियारा जिला टोंक।
11. तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री रामक्ष्मण सिह साहू वकील वादीया

श्री नमोनारायण गोतम वकील प्रवितादीगण

निर्णय

वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादिया ने दिनांक 08.06.2011 को भूमि आराजी ख0न0 1957 रकबा 1.93 है वाके ग्राम फूलेता तहसील उनियारा जिला टोंक की भूमि 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 से जरियें विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। वादीया उक्त खरीद शुदा भूमि हिस्सा 1/2 की मालिक, काबिज, स्वामी है, वादीया के हक में विक्रय पत्र का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड मे नही होने का फायदा उठा कर प्रतिवादीगण ने वादीया को बेचान की गई भूमि पर बैंक से लोन प्राप्त कर बैंक मे रहन रख दी, जिसका प्रतिवादीगण को कोई हक अधिकार समाप्त होकर वादीया मे निहित हो चुके थे।

प्रतिवादीगण ने आपस मे मिली भगत करके अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि मे वादीया की उक्त बैचान की गई भूमि को भी शामिल करते हुए आराजीयात का तकासमा करवा लिया, जिसके अनुसार आराजी ख0न0 1957 को दो भागों मे विभाजित कर दिया ख0न0 1957/1

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

रकबा 0.96 है0 प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 7 के नाम तथा 1957/2 रकबा 0.97 है0 प्रतिवादीगण संख्या 3 के नाम दर्ज किया गया । इसके पश्चात आराजी ख0न0 1957/1 के नये ख0न0 2969/1957 तथा 1957/2 के नये ख0न0 2970/2957 बनाये गये है।

प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकार्ड मे वादीया के नाम का अंकन नही होने का फायदा उठाते हुए जो विभाजन करवाया है, वह वादीया के हितो के प्रति शून्य है और वादीया 1.93 है0 मे से हिस्सा 1/2 प्राप्त करने की अधिकारी है । वादीया जिस स्थान पर काबिज है वह वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या 4 ता 7 की खातेदारी मे दर्ज हैं और ख0न0 2969/1957 रकबा 0.96 है0, जिसका वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

वादीया अपनी खरीद शुदा भूमि की कानूनन खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने गतल इन्द्राज का फायदा उठाते हुए जो कार्य किया है उसकी जानकारी होते ही वादीया ने प्रतिवादीगण को बैचान की गई भूमि का अमल उसके नाम करवाने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने वादीया को ऐलानिया धमकी है कि वह ना तो खाता दुरूस्त करवायेगें और ना ही भूमि उसे काश्त करने देगें, तन वादीया ने प्रतिवादीगण के विरूद्व एक रिपोर्ट थाना नगरफोर्ट मे दर्ज करवायी है। उसके बाद से प्रतिवादीगण नाराज हो गये वादीयगा के कब्जे काश्त मे महाहमत करने लगे है। जिसके लिए प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है कि वे स्वयं, जरियं ऐजेन्ट, नोकर, रिश्तेदार या अन्य किसी दिगर व्यक्ति के माध्यम से वादीया के हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि हाल आराजी ख0न0 2969/1957 रकबा 0.96 है वाके ग्राम फूलेता तहसील उनियारा की आराजीयात का वादीया को उपयोग उपभोग करने मे बाधा उत्पन नही करे, फसल बोने जाने व काटने मे अवरोध कारित नही करें, मजाहमत व मदाखलत नही करे तथा उक्त वर्णित आराजीयात को किसी भी प्रकार से अन्य को हस्तान्तरित नही करे।

यह की वादीया की अधियाचना हैं कि यह घोषणा की जावे कि वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 2969/1957 रकबा 0.96 है0 वाके ग्राम फूलेता तहसील उनियारा में वादीया को रिकार्डेड काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे वादीया की खातेदारी व कब्जे काश्त की उक्त वर्णित आराजीयात मे किसी प्रकार की कोई मजाहमत व मदाखलत नहीं करे।

उक्त वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

वादीया एवं प्रतिवादीगण उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र राजीनामा पेश किया कि वादग्रस्त आराजी ख0न0 1957 रकबा 1.93 है0 वको ग्राम फुलेता तहसील उनियारा जिला टोंक के 122 हिस्से को हम प्रतिवादीगण 1 ता 9 ने वादीया घीसी को जरियें जिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय पर मोके पर काबिज करवा दिया था । वादीया के पक्ष में नामान्तकरण नही खुलने से पूर्व वादग्रस्त आरजी का तकासमा होने पर विक्रय की गई आराजी ख0न0 1957/1 रकबा 0.96 है हम प्रतिवादीगण 4 ता 7 के नाम तथ ख0न0 1957/2 रकबा 0.97 है0 प्रतिवादी न0 3 के नाम दर्ज किया गया, इसके पश्चात आराजी ख0न0 1957/1 के नये ख0न0 2969/1957 प्रतिवादीगण 4 ता 7 के नाम तथा 1957/2 के नये ख0न0 2970/2957 प्रतिवादी न0 3 के नाम दर्ज किया गया है। इस कारण वादग्रस्त आराजी ख0न0 2969/1957 प्रतिवादीगण 4 ता 7 के नाम जरियें दुरूस्ती इन्द्राज हटाया जाकर वादीया को बतौर खातेदार

उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

काश्तकार दर्ज किया जाना व इसी अनुरूप तकासमा कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाने पर हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही हैं।

वादीया एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्तागण ने बहत मे कथन किया कि राजीनामा अनुसार वादग्रस्त आराजी ख0न0 2969/1957 प्रतिवादीगण 4 ता 7 के नाम जरियें दुरूस्ती इन्द्राज हटाया जाकर वादीया को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाने पर हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही हैं।

उभय पक्षों के वकील की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071–2073 वाके ग्राम फुलेता तहसील उनियारा मे वादग्रस्त आराजी ख0न0 2969/1957 रकबा 0.96 है0 प्रतिवादीगण 4 ता 7 के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादिया ने दिनांक 08.06.2011 को भूमि आराजी ख0न0 1957 रकबा 1.93 है वाके ग्राम फूलेता तहसील उनियारा जिला टोंक की भूमि 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 से जरियें विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। वादीया उक्त खरीद शुदा भूमि हिस्सा 1/2 की मालिक, काबिज, स्वामी है किन्तु वादीया के हक में विक्रय पत्र का अमल दरामद राजस्व रिकार्ड मे नही होने का फायदा उठा कर प्रतिवादीगण ने वादीया को बेचान की गई भूमि पर बैंक से लोन प्राप्त कर बैंक मे रहन रख दी । प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादग्रस्त ख0न0 2969/1957 प्रतिवादीगण 4 ता 7 के नाम जरियें दुरूस्ती इन्द्राज हटाया जाकर वादीया को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे व इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जाने पर हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही हैं।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादीगण के वाद को सहमति से स्वीकार करना उचित समझता है। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है। वादीया को वादग्रस्त आराजी ख0न0 2969/1957 रकबा 0.96 है0 वाके ग्राम फुलेता तहसील उनियारा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार उनियारा को इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त वर्णित आराजी मे वादियां के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार से मजाहमत व मदाखलत नही करे। को पर्चा डिक्री जारी हो। फरिकेन खर्च अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुश्री रजनी मीणा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक